

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(बी)/चिकि.व्यय प्रति./3491/2019-20/32-6 भोपाल,दिनांक:- 18/X/19
प्रति,

विकासखंड शिक्षा अधिकारी

विकासखंड खैरलांजी, पादुरना, पृथ्वीपुर, भिण्ड, विदिशा,
करैरा, दमोह, इंदौर, विजावर, छतरपुर, बदनावर एवं बसौदा म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3491-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3491-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स. क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यालय/डी.डी.ओ. कोड	राशि
1	श्री ओमप्रकाश राठौर सहा. शिक्षक शा.मा.शा. येरवाघाट कटंगी जिला बालाघाट	विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरलांजी 0122003046	45,270/-
2	श्रीमति नीरज भार्गव सहा. शिक्ष. शा.मा.शा.गंज वि.ख. बासौदा जिला विदिशा	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसौदा 4512003003	1,13,947/-
3	श्री लोकेन्द्र कुमार जोशी सहा. शि. धार	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बदनावर 1112003002	1,56,828/-
4	श्री राजेश कुमार सारवान भृत्य शा.मा.शा.कन्या छतरपुर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी छतरपुर 0602003015	72,640/-
5	श्री बृजगोपाल दुबे प्रधानाध्यापक शा.मा.शा.कन्या विजावार ग्वालियर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजावर 0602003018	97,000/-
6	श्रीमति उमा तिवारी सहा.शि. शा.नवीन क.मा.वि. रामबाग इंदौर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी इंदौर 1712003043	1,06,649/-
7	श्रीमति कल्पना अग्रवाल सहा.शि. शा.मा.शा. इमलाई दमोह	विकासखंड शिक्षा अधिकारी दमोह 0802003002	1,78,940/-
8	श्री राजेन्द्र कुमार भार्गव प्रधानाध्यापक मा.वि. खेराघाट	विकासखंड शिक्षा अधिकारी करैरा 3902003013	2,05,096/-
9	श्री राजसिंह सिसोदिया सेवा निवृत्त शिक्षक	विकासखंड शिक्षा अधिकारी विदिशा 4502003002	6,372/-

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट(बी)/चिकि.व्यय प्रति./3491/2019-20/32-6 भोपाल,दिनांक:- 18/X/19
प्रति,

विकासखंड शिक्षा अधिकारी

विकासखंड खैरलांजी, पादुरना, पृथ्वीपुर, भिण्ड, विदिशा,
करैरा, दमोह, इंदौर, विजावर, छतरपुर, बदनावर एवं बसौदा म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 3491-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 3491-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स. क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यालय/डी.डी.ओ. कोड	राशि
1	श्री ओमप्रकाश राठौर सहा. शिक्षक शा.मा.शा. येरवाघाट कटंगी जिला बालाघाट	विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरलांजी 0122003046	45,270/-
2	श्रीमति नीरज भार्गव सहा. शिक्ष. शा.मा.शा.गंज वि.ख. बासौदा जिला विदिशा	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसौदा 4512003003	1,13,947/-
3	श्री लोकेन्द्र कुमार जोशी सहा. शि. धार	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बदनावर 1112003002	1,56,828/-
4	श्री राजेश कुमार सारवान भृत्य शा.मा.शा.कन्या छतरपुर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी छतरपुर 0602003015	72,640/-
5	श्री बृजगोपाल दुबे प्रधानाध्यापक शा.मा.शा.कन्या विजावार ग्वालियर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजावर 0602003018	97,000/-
6	श्रीमति उमा तिवारी सहा.शि. शा.नवीन क.मा.वि. रामबाग इंदौर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी इंदौर 1712003043	1,06,649/-
7	श्रीमति कल्पना अग्रवाल सहा.शि. शा.मा.शा. इमलाई दमोह	विकासखंड शिक्षा अधिकारी दमोह 0802003002	1,78,940/-
8	श्री राजेन्द्र कुमार भार्गव प्रधानाध्यापक मा.वि. खेराघाट	विकासखंड शिक्षा अधिकारी करैरा 3902003013	2,05,096/-
9	श्री राजसिंह सिसोदिया सेवा निवृत्त शिक्षक	विकासखंड शिक्षा अधिकारी विदिशा 4502003002	6,372/-

स. क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कार्यालय/डी.डी.ओ. कोड	राशि
10	श्री सुरेश बाबू शर्मा प्रधानध्यापक शा.प्रा.वि. सुभाष नगर भिण्ड	विकासखंड शिक्षा अधिकारी भिण्ड 0402003047	2,50,000 /-
11	श्रीमति पंचफुला जैस्वाल शिक्षिका शा.मा.शा.बालक पादुरना छिन्दवाडा	विकासखंड शिक्षा अधिकारी पादुरना 0732003004	2,50,000 /-
12	श्री खुमान प्रसाद अहिरवार प्रधानध्यापक शा.मा.शा.दिल्ला जिला टीकमगढ़	विकासखंड शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपुर 4202003023	104997+13570+ 2576=1,21,143 /-
योग :- सौलाह लाख तीन हजार आठ सौ पिचयासी रूपये मात्र			16,03,885 /-

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”

प्रा.संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक:- 18 / 11 / 19

क्रमांक/बजट(बी)/चिकि.व्यय प्रति./3491/2019-20/327
प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
- 2 संबंधित समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र.।
- 3 संबंधित समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
- 4 उप संचालक (बजट) की ओर बजट फीड किए जाने हेतु।

प्रा.संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण, म.प्र.।